

Index

स्त्री अगोद गरिनी,  
लंबका लंडिका  
अटेहर दुष्टेत्रा गतन ।

Net 3

तुष्टि देवी प्राप्ति का लिया बरिद  
लिया देवी 2 लिया देवी  
इसी लिया नहीं दियी;

FRUIT 171 अमृता

સુર્યાંતર: ફાર્નિયા

6 अगस्त, 1997

**विषय:-** यह इस कानून संलग्न विभाग अधिकारी द्वारा बुराटाबाट को लीबीलूर्मूर्द नई दिल्ली में सम्बद्धता देते अनापत्ति प्रैमान था। दिवार जाना।

३८०

उपर्युक्त विषयवाक् पर यह कहो कि निरैक्षा हुआ है कि निरिक्षा स्थानीय स्थानीय अमरोद्दारा मुख्यालय को लीप्रबीउसकोई नई टिक्की तो नहीं आता थेतु उनापि इस प्रधारण पर दिए जाने में इस राज्य सरकार को निम्ननिरिक्षा प्रतिक्रियाएँ हैं जिनमें जाप्ति नहीं है :-

- विद्यालय की पंजीकृत तोतायटी का सम्बन्ध पर नवीनीकरण उत्तम बाधेगा ।
  - विद्यालय की शुल्कन्ध त्रिपति में शिक्षा निषेधक दूषारा नामित एक अद्यत्य होगा ।
  - विद्यालय में कम से कम दो इंस्ट्रुमेंट स्थान उन्नीशित बाति/अनुनीशित जनजाति के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगे और उन्हें उत्तम प्रदूर्भाव विद्यालय में विद्यालय दूषारा होना लित विद्यालयों में विविध बाईं के लिए निर्धारित हुए होंगे जिनके नहीं लिपा जाएगा ।
  - नेतृत्व दूषारा राष्ट्र द्वारा त्राप्त होने वाली उन्नीशित बाति विद्यालय की तम्बूता और यदि यह ऐसा है विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद्, तो वैसी ही शिक्षा परिषद् ने मान्यता प्राप्त होना विद्यालय की तम्बूता फैलावीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वीलिं कार फि इण्डियन रङ्गुल गोलीफिल्ड इव्यायामिकों नई टिंम्सी ऐप्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषद् में तम्बूता प्राप्त होने की तिथि होने परिषद् ने मान्यता तथा राष्ट्र द्वारा होने वाली स्थिति त्राप्त हो जाएगी ।
  - नेतृत्व वैधिक सर्व नियमित रूपों को राजीव तदायता प्राप्त विधिन नेतृत्वात्मों के कर्मियारियों को अनुबन्ध वेतनमानों तथा अन्य भर्तों हो कर वेतनमान तथा इन्य भर्तों नहीं दिये जाएंगे ।
  - कर्मियारियों दी लेवा ज्ञानों द्वारा जाएगी और उन्हें तदायता प्राप्त विधिन नेतृत्वात्मों आत्मकीय उप्यात्र माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियारियों दी अनुबन्ध लेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध छोड़ दिये जाएंगे ।

- 7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, तैस्था उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/जिकाओं में रखा जायेगा ।
- 9- उक्त गतों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के लिए कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तैस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय -
- 1- विद्यालय में कार्यरत शिक्षक तथा शिक्षणतार कर्मियों का वेतन जो वर्तमान में न्यूनतम अंदूरी की व्यवस्थानुसार नहीं है, मानकानुस्य/न्यूनतम अंदूरी के अनुसार दिया जायेगा ।
  - 2- विद्यालय में वासमय हॉबी०स्क० घोजना लागू कर शाहन को सुचित किया जायेगा ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पापा जाता है कि तैस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अधिकार पालन करने में किसी प्रकार की वृक्ष या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र बापत ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अमीर गाँगली  
संयुक्त सचिव ।

प०५०

111/1557-1997 लूटिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ सर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु देखित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- गाँगलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।
- 4- निरीक्षक, आगंग भारतीय विद्यालय उ०ष्ट० लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, लिलि स्कॉलर्स एकाडेमी ग्लॉडा मुरादाबाद ।

आज्ञा से,

अमीर गाँगली  
संयुक्त सचिव ।